



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1536]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 2008/कार्तिक 9, 1930

No. 1536]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2008/KARTIKA 9, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2008

का.आ. 2581(अ).—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, पुलिस ठपायुक्त को उनके प्रभार में आने वाले जिले के संबंध में, पुलिस आयुक्त के सामान्य नियंत्रण के अध्वधीन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 144 के अंतर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने तथा दायित्वों का निर्वहन करने की शक्ति प्रदान करती है।

[फा. सं. 11036/1/2008-यूटीएल]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2008

S.O. 2581(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of the Section 70 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Central Government hereby empowers the Deputy Commissioner of Police, to exercise and perform, in relation to the district under his charge, the powers and duties of an Executive Magistrate under Section 144 of the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) subject to the general control of the Commissioner of Police, Delhi.

[F. No. 11036/1/2008-UTL]

B. BHAMATHI, Jr. Secy.